भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation

उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

16-30 नवम्बर 2020

रामपुर नवाब की 26 अरब रुपये की संपत्ति का विवाद अंतिम चरण में

- मजलिस ने बिहार में पसारे अपने पांव
- यूरोप में इस्लामोफोबिया के रूझान पर चिंता
- ईरान के प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक की हत्या
- स्वामी श्रद्धानन्द के हत्यारे को दी गई श्रद्धांजलि

अनुक्रमणिका

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी-51, प्रथम तल,
हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष: 011-26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

* अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

सारांश 03

राष्ट्रीय

रामपुर नवाब की 26 अरब रुपये की संपत्ति का विवाद अंतिम चरण में 04
आजादी के बाद बिहार में पहली बार कोई मुस्लिम मंत्री नहीं 07
मजलिस ने बिहार में पसारे अपने पांव 10
लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश 12
विख्यात इस्लामिक विद्वान मौलाना कल्बे सादिक का निधन 15

विश्व

यूरोप में इस्लामोफोबिया के रूझान पर चिंता 16
कुख्यात आतंकवादी हाफिज सईद को दस वर्ष की सजा 17
न्यूजीलैंड पुलिस का मुस्लिम महिलाओं को तोहफा 17
ऑस्ट्रिया में दो मस्जिदें बंद 18
अफगानिस्तान और इराक से अमेरिकी फौजियों की वापसी की घोषणा 19

पश्चिम एशिया

ईरान के प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक की हत्या 20
तुर्की और सऊदी अरब के तनाव से व्यापारियों को परेशानी 21
सऊदी युवराज और इजरायली प्रधानमंत्री के बीच गुप्त वार्ता 22
संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान में तनाव 22
सऊदी अरब और इराक ने सीमाएं खोलीं 23

अन्य

स्वामी श्रद्धानन्द के हत्यारे को दी गई श्रद्धांजलि 24
अमानतुल्लाह खान बने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन 24
पॉपुलर फ्रंट के दफ्तरों पर छापे 25
अविवाहित जोड़ों को एक साथ रहने की अनुमति 25
अलकायदा के प्रमुख अयमान अल-जवाहिरी की मौत का दावा 26

सारांश

उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाया है। इस संदर्भ में सरकार के द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया है, जिसमें नाम छिपाकर विवाह और अवैध धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कैद की व्यवस्था की गई है। इस अध्यादेश को पूरे उत्तर प्रदेश में तुरंत लागू कर दिया गया है और इस सिलसिले में एक पहला मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। मुस्लिम संगठन और उर्दू अखबार इस अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं और इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह घोषणा की है कि समाजवादी पार्टी सदन के दोनों सदनों में इस अध्यादेश का विरोध करेगी। इस तरह के कानून पांच अन्य राज्यों में भी लाए जाने की तैयारी है।

रामपुर के नवाब की 26 अरब की संपत्ति के विभाजन का विवाद जो पिछले 45 वर्ष से विभिन्न न्यायालयों में चल रहा था अब उसके सुलझने की संभावना बढ़ गई है। रियासत रामपुर के नवाब रजा अली खान की संपत्ति पर पुरानी शाही परम्परा के अनुसार गद्दी के वारिस और उनके बेटे ने कब्जा कर लिया था, जिसे नवाब के अन्य पुत्रों और पुत्रियों ने न्यायालय में चुनौती दी थी। उनका कहना था कि अब क्योंकि नवाबी और रियासतें समाप्त हो चुकी हैं, इसलिए इस संपत्ति का विभाजन शिया पर्सनल लॉ के अनुसार होना चाहिए। संपत्ति का विवाद विभिन्न न्यायालयों में चलता रहा। अंत में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया था कि इस संपत्ति का विभाजन शिया पर्सनल लॉ के अनुसार किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने विभाजन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक निर्धारित भी कर दी थी।

हाल में हुए बिहार विधान सभा के चुनाव में सीमांचल क्षेत्र में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पहली बार सफलता मिली है। मजलिस ने चुनाव में 20 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे जिनमें से 5 विजयी रहे। मजलिस की इस सफलता के कारण सेक्युलर पार्टियां और विशेष रूप से कांग्रेस काफी परेशान है। उन्हें इस बात का भय है कि मजलिस मुसलमानों की एक अखिल भारतीय पार्टी के रूप में भारतीय राजनीति में उभर सकती है। इस समय मजलिस के विधायक तेलंगाना और महाराष्ट्र में मौजूद हैं। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश और बंगाल के चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करने की घोषणा भी की है।

ईरान के प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक की हत्या से सारे मुस्लिम जगत में भारी हलचल है। मोहसिन फख़रीज़ादेह नामक यह वैज्ञानिक ईरान के परमाणु कार्यक्रम का प्रमुख था। ईरान सरकार का आरोप है कि उसकी हत्या के पीछे इजरायल की गुप्तचर एजेंसी मोसाद का हाथ है। खास बात यह है कि पहली बार किसी व्यक्ति की हत्या सैटेलाइट द्वारा की गई है। ईरान ने हत्यारों को हर कीमत पर बर्बाद करने की घोषणा की है।

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सऊदी अरब की गुप्त यात्रा इन दिनों विश्वभर में चर्चा का केन्द्र बना हुआ है। बताया जाता है कि अमेरिका द्वारा मुस्लिम जगत को विभाजित करने और तुर्की के खिलाफ मोर्चा बनाने के प्रयासों में यह मुलाकात महत्त्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हो सकती है।

रामपुर नवाब की 26 अरब रुपये की संपत्ति का विवाद अंतिम चरण में

इंकलाब (22 नवम्बर) के अनुसार रियासत रामपुर के अंतिम नवाब रजा अली खान की 2600 करोड़ से अधिक की संपत्ति को 18 वारिसों में बांटने की तैयारी शुरू हो गई है। पिछले 45 वर्षों से रामपुर की संपत्ति के विवाद का मुकदमा विभिन्न न्यायालयों में चल रहा है। कुछ महीनों पहले सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया था कि 31 दिसंबर, 2020 से पूर्व नवाब की संपत्ति के विभाजन की घोषणा शरिया पर्सनल लॉ के अनुसार कर दी जाए। 2600 करोड़ से अधिक की संपत्ति के बारे में सर्वे की रिपोर्ट एडवोकेट कमिश्नर अरूण सक्सेना ने जिला न्यायाधीश के न्यायालय में पेश कर दी है। विवाद खासबाग महल का है जिसका रकबा रिकॉर्ड में 400 एकड़ दर्ज है। मगर इस समय उसका रकबा सिर्फ 350 एकड़ है। शेष 50 एकड़ की भूमि काफी तलाश के बाद भी पता नहीं चला तो एडवोकेट कमिश्नर ने जिला न्यायालय में 350 एकड़ भूमि के बारे में ही रिपोर्ट दाखिल कर दी, जिसका मूल्य सरकारी सर्कल रेट के अनुसार 4 अरब 8 करोड़ 55 लाख है। खासबाग महल के भवन की कीमत 27 करोड़ 32 लाख 60 हजार रुपये लगाई गई है। जबकि परिसर में होने वाली फसलों की वार्षिक आय एक करोड़ 14 लाख और फलदार वृक्षों के फलों से होने वाली वार्षिक आय 46 लाख 50 हजार रुपये लगाई गई है और इमारती लकड़ी के मूल्य का अंदाजा 20 लाख रुपये लगाया गया है। एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट के अनुसार चल संपत्ति का मूल्य 64 करोड़ 50 लाख रुपये है जबकि अचल संपत्ति में कोठी शाहबाद के लखीबाग के मूल्य का अनुमान सात अरब 21 करोड़, कोठी बेनजीर बाग का मूल्य 3 अरब, नवाब के रेलवे स्टेशन का मूल्य 1 अरब 13 करोड़ और कंडा स्थित संपत्ति का मूल्य 19 करोड़ 21 लाख रुपया लगाया गया है।

जब रियासत रामपुर का भारत में विलय हुआ था तब नवाब रजा अली खान ने 5 संपत्ति अपने पास रखी थी बाकी सभी संपत्ति भारत सरकार के हवाले कर दी थी। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद जिला न्यायाधीश ने सभी 18 वारिसों को अपने आपत्ति दाखिल करने के लिए 23 नवंबर की तिथि तय की है। नवाब रजा अली खान के निधन के बाद इस संपत्ति पर उनके उत्तराधिकारी नवाब मुर्तजा अली का कब्जा था और उनके निधन के बाद इस समय उनकी विधवा नवाब आफताब जमानी और बेटे नवाब अली मोहम्मद खान का कब्जा है। कहा जाता है कि मुकदमे के दौरान काफी संपत्तियाँ गायब हो गयी थीं।

इंकलाब (26 नवंबर) के अनुसार स्वर्गीय नवाब रजा अली खान के पोते नवाब मोहम्मद अली खान ने संपत्ति के विभाजन पर जो आपत्ति दायर की है उससे काफी हलचल मच गई है। नवाब मोहम्मद अली खान ने अपनी आपत्ति में लिखा है कि कोठी खासबाग से संबंधित जो नक्शा न्यायालय में दर्ज किया गया था उसमें कलेक्टरेट, जिला कोर्ट, वीआईपी कोठियां, आवास विकास कॉलोनी और नूर महल के भवन शामिल हैं। लेकिन इन भवनों को सर्वे रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में यह रिपोर्ट अधूरी है। उन्होंने कहा है कि क्योंकि रिपोर्ट कानून के अनुसार नहीं है इसलिए इसे खारिज माना जाना चाहिए। संपत्ति का मूल्यांकन स्टाम्प ड्यूटी के हिसाब से तय किया गया है, जबकि इसका मूल्य बाजार भाव के अनुसार लगाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी आपत्ति की है कि इस रिपोर्ट में कहीं यह लिखा हुआ नहीं है कि कितने क्षेत्रफल में भवन बने हैं। इसमें कृषि भूमि का भी उल्लेख नहीं है। रिपोर्ट में किसी गांव का नाम भी शामिल नहीं किया गया है इसलिए यह रिपोर्ट रद्द की जानी चाहिए। नवाब के एक अन्य पोते नवाब कासिम अली खान ने अपने आपत्ति में कहा है कि 0.1 एकड़ भूमि को निजी संपत्ति बताया गया है जो कि गलत है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी शिकायत की है कि संपत्ति का सही ढंग से मूल्यांकन नहीं किया गया है। इस संपत्ति के प्रारम्भ में 18 उत्तराधिकारी थे जिनमें से दो की मृत्यु हो चुकी है और अब इसे 16 उत्तराधिकारियों में बांटा जाएगा।

टिप्पणी : रामपुर की रियासत के नवाब शिया थे और इस रियासत की स्थापना 1774 में नवाब अवध के साथ हुई एक संधि के तहत की गई थी। इस रियासत का कुल क्षेत्रफल 945 वर्ग मील था। इतिहास के अनुसार अवध के नवाब का जब मराठाओं के साथ 1772 में युद्ध हुआ था तो रूहेला पठानों को अपनी पुरानी राजधानी बरेली में पराजित होना पड़ा था। इसके बाद रियासत रामपुर की स्थापना अंग्रेजों के संरक्षण में नवाब फजलुल्लाह खान ने 1774 में की थी। रामपुर नगर और किले की स्थापना नवाब ने 1775 में की थी। प्रारम्भ में इसका नाम मुस्तफाबाद था, जिसे बाद में रामपुर में बदल दिया गया। इस रियासत के नवाब ने अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू और संस्कृत की हजारों पांडुलिपियों की रामपुर रजा लाइब्रेरी स्थापित की थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में रामपुर के नवाब ने अंग्रेजों का साथ दिया था। नवाब को 15 तोपों की सलामी प्राप्त थी। नवाब रजा खान रियासत रामपुर के 12वें नवाब थे। देश में रियासत रामपुर एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां नवाब का अलग रेलवे स्टेशन था और नवाब जहां कहीं जाते थे अपनी खास रेलगाड़ी में जाते थे। नवाब के शस्त्रागार में 1000

प्राचीन अस्त्र-शस्त्रों का भंडार है। रजा अली खान के निधन के बाद उनकी संपत्ति के विभाजन को लेकर कई वर्ष से विवाद चल रहा था। अंत में सर्वोच्च न्यायालय ने इस विवाद में हस्तक्षेप किया और उसने यह निर्देश दिया कि नवाब के साथ हुई संधि के अनुसार उनकी संपत्ति का विभाजन शिया पर्सनल लॉ के आधार पर किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्देश देशभर के राजपरिवारों के लिए एक मिसाल बन गया है। क्योंकि शाही परम्परा के अनुसार नवाब का बड़ा बेटा ही नवाब की सारी संपत्ति का हकदार होता था। इसलिए रामपुर के अंतिम नवाब रजा अली खान की जब 1966 में मौत हो गई तो उनकी सारी संपत्ति पर उनके बड़े बेटे नवाब मुर्तजा अली खान काबिज हो गए। इसे लेकर उनके भाई बहनों ने उनके खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दर्ज कर दिया। उनका तर्क यह था कि जब देश में नवाबशाही नहीं रही तो फिर नवाबी परम्परा के अनुसार सिर्फ गद्दी का वारिस ही कैसे सारी संपत्ति का वारिस हो सकता है? उन्होंने मांग की कि मुस्लिम शरिया लॉ के अनुसार संपत्ति का विभाजन किया जाए। यह मुकदमा 45 वर्षों तक चलता रहा और अंत में सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करके यह निर्देश दिया कि संपत्ति के मूल्यांकन के लिए एक कमिश्नर को नियुक्त किया जाए जो सारी संपत्ति का सर्वे और मूल्यांकन करने के बाद अपनी रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे। मुकदमा दर्ज करने वाले पक्षकारों ने इस संपत्ति पर काबिज परिवार पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने संपत्ति को खुर्द-बुर्द कर दिया है। इसलिए उन्हें उसका मुआवजा 700 करोड़ रुपये दिया जाए।

रामपुर में नवाब परिवार की पांच मुख्य संपत्तियां हैं। इनमें से कोठी खासबाग सबसे बड़ी है। इसका निर्माण 200 वर्ष पहले यूरोपीय इस्लामिक शैली में किया गया था। इसमें 200 से अधिक कमरे हैं। यह देश की सबसे पहली वातानुकूलित कोठी है। कोठी खासबाग 350 एकड़ रकबा में है। एक अन्य कोठी लखीबाग है जिसमें एक लाख वृक्ष लगे हैं। शरिया लॉ के अनुसार पूर्व सांसद बेगम नूर बानो का हिस्सा सवा दो प्रतिशत, उनके बेटे नवाब काजिम अली खान का हिस्सा सात प्रतिशत, बेगम नूर बानो की बेटी समन खान का हिस्सा चार प्रतिशत और दूसरी बेटी सबा अहमद का हिस्सा भी चार प्रतिशत है। सबा के पति जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। जबकि उनके ससुर देश के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। इसके अतिरिक्त तलत फातिमा हसन को दो प्रतिशत गिजाला मारिया अली खान को 5 प्रतिशत, नदीम अली खान को 5 प्रतिशत, सिराजुल हसन को 4 प्रतिशत, सैयदा ब्रिजीस लका बेगम को 8 प्रतिशत, अख्तर लका बेगम को 8 प्रतिशत, नाहद लका बेगम, कमर लका बेगम को 8-8 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। जबकि मेहरून्निसा बेगम को 7.25 प्रतिशत, मोहम्मद अली खान को 8 प्रतिशत, उनकी बहन निखत आबदी चार प्रतिशत का हिस्सा मिलेगा। जबकि दो अन्य वारिसों कैसर जमानी बेगम और तलत जमानी बेगम की मृत्यु हो चुकी है। वकीलों का यह कहना है कि इस संपत्ति के कुछ दावेदार विदेश जा चुके हैं। इसलिए उनकी संपत्ति को शत्रु संपत्ति कानून के तहत सरकार अपने कब्जे में ले सकती है।

आजादी के बाद बिहार में पहली बार कोई मुस्लिम मंत्री नहीं

मुंबई उर्दू न्यूज (20 नवंबर) के अनुसार बिहार एक ऐसी रियासत है जहां पर अल्पसंख्यक भारी संख्या में रहते हैं। आज तक वहां पर जो भी सरकार बनी है उसके मंत्रिमंडल में मुसलमानों को प्रतिनिधित्व प्राप्त रहा है। बिहार के इतिहास में यह पहला मौका है जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के टिकट पर न तो कोई मुसलमान विजयी हुआ है और न ही किसी मुसलमान को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। एनडीए में शामिल चार पार्टियां भारतीय जनता पार्टी, जनता दल (यू), हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी के टिकट पर कोई भी मुसलमान विधायक निर्वाचित नहीं हुआ है। इन चार पार्टियों में से सिर्फ जदयू ने मुसलमानों को मैदान में उतारा था। मगर ये सभी मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव हार गए। राष्ट्रीय जनता दल के 75 निर्वाचित विधायकों में से 8 मुसलमान हैं। जबकि कांग्रेस के 19 विधायकों में से 4 मुसलमान हैं। असदुद्दीन ओवैसी की मजलिस के टिकट पर 5 मुस्लिम उम्मीदवार चुने गए हैं। वाम दलों की टिकट पर जो 16 विधायक चुने गए हैं उनमें से 1 मुसलमान है। बहुजन समाज पार्टी का भी 1 विधायक निर्वाचित हुआ है जो कि मुसलमान है। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार ने अपनी समाजवादी सेकुलर छवि को लांछित किया है।

दैनिक सियासत (12 नवंबर) के अनुसार मुसलमानों को नजरअंदाज करना कांग्रेस को भारी पड़ा है। बिहार विधान सभा के चुनाव में कांग्रेस मुसलमानों का समर्थन पाने में बुरी तरह से विफल रही है। खासतौर पर सीमांचल क्षेत्र में कांग्रेस का सफाया हो गया है। बिहार कांग्रेस के एक नेता ने शिकायत की है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कांग्रेस ने अपना चुनाव अभियान चलाने में कोई ध्यान नहीं दिया और न ही उसने मुसलमानों को आकर्षित करने के लिए कोई प्रयास ही किया। न जाने कैसे यह समझ लिया गया कि मुसलमान महागठबंधन को ही मत देंगे, इसलिए उन्हें नजरअंदाज किया गया। इसका नतीजा यह हुआ

कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमआईएम) ने पांच सीटों पर सफलता प्राप्त की। इस कारण महागठबंधन को भारी क्षति उठानी पड़ी। पूर्व केन्द्रीय मंत्री शकील अहमद ने आरोप लगाया है कि इन चुनावों में जानबूझकर महागठबंधन के उम्मीदवारों को हराया गया है। इस संबंध में उन्होंने दो क्षेत्रों का हवाला दिया। लेकिन एक अन्य मुस्लिम नेता शकील उर रहमान अंसारी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करने में कोई रुचि नहीं ली। इसका लाभ मजलिस ने उठाया। सिर्फ इमरान प्रतापगढ़ी ने ही आधे मन से चुनाव अभियान में हिस्सा लिया। पार्टी हाईकमान ने मुसलमान नेताओं को नजरअंदाज किया, जिसके कारण कांग्रेस मुस्लिम वोट प्राप्त करने में पूरी तरह से विफल रही।

टिप्पणी : इस्लामिक वेबसाइट twocircles.net के अनुसार 2020 में हुए बिहार विधान सभा के चुनाव में 19 मुस्लिम विधायक चुने गए हैं। इनमें से 8 राष्ट्रीय जनता दल, 5 ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, 4 कांग्रेस, 1 सीपीआई (एम.एल.) और 1 बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुना गया है।

चुनाव आयोग के आकड़ों के अनुसार 1952 में 23, 1957 में 26, 1962 में 22, 1967 में 17, 1969 में 20, 1972 में 22, 1977 में 24, 1980 में 24, 1985 में 29, 1990 में 17, 1995 में 21, 2000 में 29, 2005 में 17, 2010 में 19 और 2015 में 24 मुस्लिम विधायक विधान सभा के लिए चुने गए थे। अब तक राज्य में जो विधान सभा के चुनाव हुए हैं उनमें कुल 4593 विधायक चुने गए हैं। इनमें से मुस्लिम विधायकों की कुल संख्या 334 है। इस तरह से मुसलमान विधायकों का अनुपात 7.27 प्रतिशत रहा। जबकि राज्य में मुस्लिम जनसंख्या के अनुपात से इस अवधि में 633 मुस्लिम विधायक चुने जाने चाहिए थे। 1952 और 1957 में जो मुस्लिम विधायक चुने गए थे वे सभी कांग्रेस के टिकट पर जीते थे। 1962 के बाद बिहार में मुस्लिम मतदाताओं पर कांग्रेस की पकड़ कमजोर हुई। 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर 13 और कांग्रेस के टिकट पर 8 मुसलमान चुने गए। 1980-85 की अवधि में कांग्रेस ने पुनः मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित किया। इसके कारण इस चुनाव में सर्वाधिक मुस्लिम विधायक चुने गए, जिनकी संख्या 29 थी। 1990 में जनता दल ने मुस्लिम मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित किया। 2000 में झारखंड को अलग राज्य का दर्जा मिलने के बाद 2005 में हुए बिहार विधान सभा के चुनाव में सिर्फ 16 मुस्लिम उम्मीदवार ही विजयी हुए थे। यह संख्या आजादी के बाद सबसे कम थी।

2009 में हुए उपचुनाव में बख्तियारपुर विधान सभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर महबूब अली कैसर चुने गए थे, जिससे मुस्लिम विधायकों की संख्या बढ़कर 17 हो गई थी। हालांकि आबादी के अनुपात से 40 विधायक चुने जाने चाहिए थे। ये 17 विधायक सात राजनीतिक दलों से संबंधित थे। इन चुनावों में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने संयुक्त रूप से 46 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। मगर इसमें से सिर्फ 9 ही जीते। लोक जनशक्ति पार्टी ने 47 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था मगर इसमें से केवल 1 ही जीता। जनता दल (यूनाइटेड) ने 9 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिनमें से 4 जीते। जबकि सीपीआईएम (एल) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का 2 मुस्लिम विधायक चुना गया। 1

मुस्लिम विधायक निर्दलीय भी चुन कर आया। हैरानी की बात यह है कि इस चुनाव में 42 मुस्लिम उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे और वे बहुत कम अंतर से हारे। शायद इसका कारण राष्ट्रीय जनता दल की सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी थी।

मुस्लिम वोटों के विभाजन के कारण भी मुसलमान भारी संख्या में हारे। 2010 के चुनाव में 19 मुस्लिम उम्मीदवार जीते। इनमें से सबसे ज्यादा जिनकी संख्या 7 थी, जनता दल यू की टिकट पर जीते। 6 आरजेडी, 3 कांग्रेस, दो लोक जनशक्ति पार्टी की टिकट पर जीते। इस चुनाव में दो मुस्लिम महिलाएं भी विजयी रहीं। 36 मुस्लिम उम्मीदवार दूसरे नम्बर पर आए। कांग्रेस ने 46 मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा किया था। जबकि आरजेडी ने 26 मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा किया। जबकि जनता दल यू ने 14 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। एलजेपी ने 10 और बीजेपी ने 1 उम्मीदवार को टिकट दिया। मुसलमानों ने नीतीश कुमार का इसलिए समर्थन किया क्योंकि उन्होंने भागलपुर के दंगों के मुकदमों को पुनः खोलने और दोषियों को सजा देने का समर्थन किया था। इसके अतिरिक्त उनके शासनकाल में बिहार साम्प्रदायिक दंगों से मुक्त रहा। 2015 में राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल (यू) और कांग्रेस के महागठबंधन के कारण इस गठबंधन को भारी सफलता मिली, जिसके कारण नीतीश कुमार तीसरी बार पुनः मुख्यमंत्री बने। इन चुनावों में 24 मुसलमान विधायक जीते। इनमें से बारह का संबंध राष्ट्रीय जनता दल, छह का कांग्रेस, 5 का जदयू और एक का सीपीआईएमएल से था। 16 मुस्लिम उम्मीदवार दूसरे नम्बर पर रहे।

इस चुनाव में मुसलमानों ने सेक्युलर पार्टियों के गठबंधन के पक्ष में मतदान किया। मगर मुसलमानों को उस वक्त गहरा धक्का लगा जब नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल का साथ छोड़कर भाजपा का हाथ थाम लिया। मुसलमानों को यह शिकायत है कि विभिन्न राजनीतिक दल मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में टिकट नहीं देते। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ 9 से 10 प्रतिशत सीटों पर मुसलमानों को टिकट देती रही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और सीपीएम ने क्रमशः 7 और 8 प्रतिशत टिकट ही मुसलमानों को दिए। मुसलमानों को यह भी शिकायत है कि जिन क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अधिक है उन्हें सुरक्षित घोषित कर दिया गया। इस बात का उल्लेख सच्चर कमेटी ने भी 2006 की अपनी रिपोर्ट में किया था।

मुसलमानों को यह भी शिकायत है कि जिन पार्टियों को मुसलमान अपना वोट देते हैं वे मुसलमानों को चुनावी मैदान में उतारने में संकोच करती हैं और अगर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए भी जाते हैं तो उन्हें ऐसे क्षेत्रों से मैदान में उतारा जाता है जिनमें मुसलमानों की संख्या बहुत कम होती है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो कि किशनगंज, पुर्णिया, अररिया, कटिहार, मधुबनी, सीतामढ़ी, भागलपुर, दरभंगा, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण शामिल हैं, इन क्षेत्रों में एक ही सीट से कई मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं जिनसे उनके मतों का विभाजन हो जाता है और वे ध्रुवीकरण के कारण बहुसंख्यक उम्मीदवार के मुकाबले में चुनाव हार जाते हैं।

मजलिस ने बिहार में पसारे अपने पांव

इत्तेमाद (11 नवम्बर) ने अपने मुख्य पृष्ठ के मुख्य समाचार में बिहार विधान सभा के चुनाव में मिली मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सफलता को मुख्य समाचार के रूप में प्रकाशित करते हुए उस पर शीर्षक दिया है, "बिहार में मजलिस ने इतिहास बनाया। तेलंगाना और महाराष्ट्र के बाद तीसरे राज्य की विधान सभा में एमआईएम का दाखिला। मजलिस बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ेगी।" समाचारपत्र ने कहा है कि बिहार के चुनाव में मजलिस ने 20 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था जिनमें से पांच जीते हैं। बिहार देश का तीसरा राज्य बन गया है। यहां से मजलिस के निर्वाचित प्रतिनिधि सदन में मुसलमानों और पिछड़े वर्ग की आवाज बनेंगे। इससे पहले मजलिस तेलंगाना और महाराष्ट्र में भी अपने झंडे गाड चुकी है।

भाजपा और कांग्रेस ने मजलिस के खिलाफ जबर्दस्त अभियान छेड़ा था और अपने चोटी के प्रचारकों को मैदान में उतारा था। इस वक्त तेलंगाना विधान सभा में मजलिस के विधान सभा में 7 और विधान परिषद में 2 सदस्य हैं। जबकि महाराष्ट्र विधान सभा में भी दो सदस्य हैं। मजलिस एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है। बिहार से जो उम्मीदवार जीते हैं उनमें अख्तरूल इमान, अंजार नईमी, शाहनवाज आलम, सैयद रूकनुद्दीन अहमद और मोहम्मद इजहार आसफी शामिल हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने यह दावा किया कि उनकी पार्टी ने बंगाल और उत्तर प्रदेश की विधान सभाओं के चुनाव लड़ने का भी फैसला किया है।

इत्तेमाद ने 23 नवंबर के अंक में प्रकाशित संपादकीय में यह दावा किया है कि हमने नया इतिहास रचा है। समाचारपत्र का कहना है कि इस समय जबकि भाजपा परिवार के सभी संगठन जमीनी काम, अंधाधुंध प्रचार, सोशल मीडिया और नौकरशाही की सहायता के द्वारा हर राज्य पर कब्जा करने के लिए पूरी ताकत से आगे बढ़ रहे हैं, मुसलमानों के वोटों को प्रभावहीन बनाने के लिए बहुसंख्यकों के तुष्टीकरण की नीति अपनाई जा रही है। सौ साल पुरानी कांग्रेस भाजपा का

मुकाबला करने में स्वयं को बेबस पा रही है। ऐसी स्थिति में दक्षिण से उभरने वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार विधान सभा में पांच सीटें जीतकर नया इतिहास रचा है। भारत का संविधान हर पार्टी को देश के किसी भी हिस्से से चुनाव लड़ने के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करने की छूट देता है।

समाचारपत्र का कहना है कि मजलिस को स्थापित हुए साठ वर्ष गुजर चुके हैं। हैदराबाद रियासत पर जबरन कब्जे के बाद वहां के मुसलमान राजनीतिक रूप से अनाथ हो गए थे। इसलिए उनको हक दिलाने के लिए अब्दुल वाहिद ओवैसी ने मजलिस की स्थापना की थी। सलाहुद्दीन ओवैसी ने उसे मजबूत बनाया। हालांकि दुश्मनों ने मजलिस को बदनाम करने के लिए झूठे आरोपों को लगाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। मजलिस के नेताओं पर घातक हमले किए गए। अब देश में असदुद्दीन ओवैसी में अल्पसंख्यकों और पिछड़ों को उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। भले ही देश में दर्जनों मुस्लिम संगठन हों मगर उनके अलावा कोई ऐसा नेता दिखाई नहीं देता जो मुसलमानों की समस्याओं को बिना भय के मीडिया के सामने रखता हो और सत्तारूढ़ दलों को चुनौती देता हो। समाचारपत्र ने यह भविष्यवाणी की है कि मजलिस राष्ट्रीय क्षितिज पर एक ताकतवर राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभरेगी।

इत्तेमाद ने 11 नवम्बर के संपादकीय में आरोप लगाया है कि महागठबंधन की राजनीतिक दूरंदेशी न होने के कारण बिहार में एनडीए को सत्ता प्राप्ति हुई है। इसमें महागठबंधन में शामिल कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन का भी विशेष हाथ है। 2015 के चुनाव में कांग्रेस ने आरजेडी और जनता दल (यू) के साथ महागठबंधन के तहत 41 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और 27 सीटें जीती थीं। राजनीतिक प्रवेक्षकों का कहना है कि तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को 70 सीटें देकर जबर्दस्त गलती की थी, जिसके कारण उसे सत्ता से हाथ धोना पड़ा। जहां तक मजलिस का संबंध है वह एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभर रही है और भविष्य में भी वह उत्तर प्रदेश और बंगाल में अपना लोहा मनवाकर दम लेगी।

मुंबई उर्दू न्यूज (22 नवंबर) में प्रकाशित एक लेख के अनुसार ओवैसी की सफलता से सबसे ज्यादा परेशान कांग्रेस पार्टी है। सीमांचल से मजलिस के पांच उम्मीदवारों की कामयाबी ने देश के सेक्युलर लोगों की नींद उड़ा दी है। 2014 में आम चुनाव धर्म के नाम पर लड़े गए थे। मगर सेक्युलर लोगों की आवाज दबी-दबी रही। कांग्रेस ने शिवसेना के साथ समझौता करने में कोई शर्म महसूस नहीं की। कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इसके पास अपना वोट बैंक नहीं है। अब तक वह यही समझती रही कि मुसलमानों के वोट बीजेपी को नहीं जाएंगे और वह कांग्रेस को ही मिलेंगे। मगर मजलिस के मैदान में आने के बाद कांग्रेस के मुस्लिम वोट उसके हाथ से खिसकते जा रहे हैं। यही कारण है कि कांग्रेस पूरे देश में चुनावों में बुरी तरह से हार रही है। कोई माने या न माने मगर हकीकत यह है कि अब देश में चुनाव धर्म के आधार पर लड़े जा रहे हैं। भाजपा के पास हिंदू वोट है। बीएसपी के पास दलित वोट है। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस के पास मराठा वोट है। समाजवादी पार्टी और आरजेडी के पास यादव वोट हैं। किसी के पास जाट वोट है तो किसी के पास राजपूत वोट। देश में हर जगह राजनीतिक दलों का अपना-अपना वोट बैंक है। मगर इस स्थिति को कांग्रेस समझ नहीं पा रही है।

बिहार चुनाव के बाद तेजस्वी यादव ने यह कहा है कि ओवैसी के कारण महागठबंधन को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। कांग्रेस नहीं चाहती कि ओवैसी मुसलमानों के राजनीतिक नेता के रूप में उभरें। वह यह चाहती है कि ओवैसी मुसलमानों के लिए आवाज न उठाएं और मुसलमान कांग्रेस के रहमो-करम पर रहें। मगर अब यह होने वाला नहीं है। ओवैसी ने जब से बंगाल का चुनाव लड़ने की घोषणा की है उससे सबसे ज्यादा परेशानी कांग्रेस को ही हो रही है। इसके साथ ही ममता बनर्जी को भी यह डर सता रहा है कि अगर मुसलमान वोट मजलिस के साथ चले गए तो सत्ता उसके हाथ से निकल जाएगी। चुनाव में ओवैसी के भाग लेने के कारण बंगाल में ध्रुवीकरण होगा, जो कि कांग्रेस और अन्य सभी सेक्युलर पार्टियों के लिए घातक होगा।

हमारा समाज (12 नवंबर) ने बिहार के चुनाव पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार के सुशासन और काम करने के ढंग के कारण जनता ने उनका साथ दिया है। तेजस्वी ने हालांकि लम्बे-चौड़े दावे किए थे मगर जनता को उनके दावों में वजन नजर नहीं आया। इसलिए उन्होंने एनडीए का साथ दिया। भाजपा अपनी सफल चुनावी रणनीति और साधनों के कारण जीतती है। इसलिए वह दूसरी बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। जबकि जनता दल (यू) तीसरे स्थान पर चला गया। समाचारपत्र ने यह आशा व्यक्त की है कि नीतीश कुमार ने जनता से चुनाव पूर्व जो वायदे किए थे उसे वे पूरा करेंगे।

लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश

मुंबई उर्दू न्यूज (25 नवंबर) के अुनसार उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राज्य मंत्रिमंडल द्वारा पारित लव जिहाद विरोधी अध्यादेश को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके तहत विवाह के लिए जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए यह अध्यादेश जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि राज्य के मंत्रिमंडल में इस संदर्भ में विचार विमर्श हुआ था। इसके बाद अध्यादेश जारी करने का निर्णय किया गया। उन्होंने कहा कि जबरन धर्मांतरण के केस में एक से 5 वर्ष की कैद के साथ-साथ 15 हजार रुपये जुर्माने की भी व्यवस्था की गई है। जबकि अल्पव्यस्क और दलित समाज की महिलाओं के धर्मांतरण के मामले में तीन साल से दस साल की

कैद की व्यवस्था है। इसके साथ ही उसे 25 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा।

उन्होंने कहा कि अगर कोई धर्म परिवर्तन करके विवाह करना चाहता है तो ऐसी सूरत में उसके लिए यह जरूरी है कि वह विवाह से दो महीने पूर्व जिलाधिकारी को सूचना देकर उनकी मंजूरी प्राप्त करे। अगर कोई व्यक्ति विवाह से पूर्व नाम छिपाकर शादी करता है तो उसके लिए दस वर्ष

कैद की व्यवस्था के साथ-साथ 50 हजार रुपये जुर्माने की व्यवस्था भी कई है। उन्होंने कहा कि यह अध्यादेश महिलाओं को न्याय दिलाने के लक्ष्य से लाया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में एक सौ ऐसी घटनाएँ हुई हैं जिनमें विवाह के बाद महिला को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया गया। क्योंकि विवाह से पहले पति ने अपने असली नाम को गुप्त रखा था।

ज्ञातव्य है कि गत दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा में यह घोषणा की थी कि राज्य सरकार लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है और इस उद्देश्य से एक सख्त कानून बनाया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि जो लोग अपनी पहचान को छिपाकर बहन-बेटियों के साथ खिलवाड़ करते हैं अगर उन्होंने अपने तरीके को नहीं बदला तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अध्यादेश के अनुसार इस कानून को सारे उत्तर प्रदेश में तत्काल लागू कर दिया गया है और इस संदर्भ में अध्यादेश का नोटिफिकेशन भी गृह मंत्रालय ने जारी किया है, जिसमें अलग-अलग धर्मों में शादी करने के इच्छुक व्यक्तियों द्वारा जिलाधिकारी को दी जाने वाली याचिका का प्रारूप भी जारी किया गया है।

अध्यादेश के अनुसार यह गैर-जमानती अपराध है और अगर कोई इस कानून को चुनौती देता है तो उसे सिद्ध करना उस व्यक्ति की जिम्मेवारी होगी। इस अध्यादेश से संबंधित मुकदमें की सुनवाई प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय में होगी और इस कानून के तहत विवाह के लिए धर्म परिवर्तन द्वारा की गई सभी शादियों को अवैद्य घोषित किया गया है। अगर कोई संगठन व्यापक पैमाने पर धर्म परिवर्तन करवाता है तो उस संगठन के पंजीकरण को रद्द कर दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी इस विवादित कानून का दोनों सदनों में विरोध करेगी। क्योंकि यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि यह जनभावना के भी खिलाफ है और यह सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए लाया गया है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस विषय पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह स्पेशल मैरिज एक्ट के अनुच्छेद 14 और 21 के खिलाफ है। इस अध्यादेश में संविधान की मूल भावना को नजरअंदाज किया गया है और इससे समाज में नफरत फैलेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बेरोजगारी से परेशान नौजवानों को भयभीत करने के लिए यह कानून लाया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपाई नेताओं पर चोट करते हुए कहा कि भाजपा के कई नेताओं ने अन्य धर्म की महिलाओं से विवाह किया है। क्या यह विवाह भी लव जिहाद की परिभाषा में आयेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा समाज में नफरत फैला रही है।

मुंबई उर्दू न्यूज (30 नवम्बर) के अनुसार उत्तर प्रदेश में लव जिहाद अध्यादेश के तहत पहला मुकदमा बरेली जिला में दर्ज किया गया है। इस मुकदमें में पीड़ित ने यह आरोप लगाया है कि इदरिश नामक एक लड़का दबाव डालकर उसकी बेटी से जबरन शादी करना चाहता है और वह उस पर धर्म-परिवर्तन करने के लिए दबाव डाल रहा है। उसने यह भी धमकी दी है कि यदि लड़की ने उससे शादी नहीं की तो वह उसके परिवारजनों की हत्या कर देगा।

समाचारपत्र के अनुसार पीड़ित छात्रा के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। समाचारपत्र में कहा गया है कि जिला बरेली के देवरनिया थाने के गांव शरीफ नगर के निवासी टीकाराम की बेटी की इसी गांव के ओवैस अहमद से जान-पहचान थी। दोनों इंटर कॉलेज में सहपाठी थे। छात्रा के अनुसार तीन वर्ष पूर्व उसने अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद अन्य कॉलेज में आगे की पढ़ाई शुरू कर दी थी। छात्रा का आरोप है कि ओवैस अहमद पिछले एक वर्ष से लगातार उस पर इस बात के लिए दबाव डाल रहा है कि वह अपना धर्म-परिवर्तन करके उससे निकाह कर ले। प्रारम्भ में वह इस मामले को टालती रही। क्योंकि उसे बदनामी का भय था। बाद में जब उसने विरोध करना शुरू किया तो उसने अपहरण की धमकियाँ देनी शुरू कर दीं। झगड़े से बचने के लिए लड़की के पिता टीकाराम ने अपनी बेटी का विवाह दूसरी जगह कर दिया। इसके बाद ओवैस अहमद ने उसके घर वालों को परेशान करना शुरू कर दिया। तंग आकर टीकाराम थाने में पहुंचा और उसने यह मामला दर्ज करवाया। बरेली ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक संसार सिंह ने बताया कि छात्रा के पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन कानून और भारतीय दंड संहिता की धारा 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में उत्तर प्रदेश में यह पहला केस है जिसमें शिकायत प्राप्त होते ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है।

दैनिक सियासत (25 नवंबर) ने अपने संपादकीय में इस कानून की कड़ी आलोचना की है। संपादकीय में कहा गया है कि भाजपा सरकार क्या वास्तव में मुसलमानों से भयभीत है? इसको शासन करने की बजाय भारतीय समाज को धार्मिक आधार पर विभाजित करने में ज्यादा दिलचस्पी नजर आ रही है। लव-जिहाद के खिलाफ जो कानून बनाया गया है वह संविधान के साथ खिलवाड़ है। उत्तर प्रदेश से लेकर देश के कई राज्यों में भाजपा का शासन है। इन सरकारों ने जो फैसले किए हैं उन पर कानूनी विशेषज्ञों ने प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। उनका कहना है कि संवैधानिक या कानूनी दृष्टि से लव-जिहाद की कोई कल्पना नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 21 में हर व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म अपनाने और अपनी मर्जी से विवाह करने की अनुमति दी गई है।

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने लव जिहाद के खिलाफ जो कानून बनाया है वह एक मजाक है। जबकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ही यह फैसला दे चुका है कि भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद की शादी करने और मनचाहा धर्म अपनाने का अधिकार है। यह फैसला सलामत अंसारी बनाम प्रियंका खरवार के मुकदमें में दिया था। सलामत अंसारी ने प्रियंका से 19 अगस्त, 2019 को विवाह किया था। जब इन दोनों को धमकियां मिलनी शुरू हुईं तो उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी नागरिक के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करने का न्यायालय का कोई अधिकार नहीं है। मगर फिर भी सरकार अपनी ताकत के बल पर अगर मनमानी करे और मनमाना कानून बना ले तो इसका विरोध होना स्वाभाविक है।

उत्तर प्रदेश की योगी की सरकार हो या कर्नाटक, असम, हरियाणा, मध्य प्रदेश की सरकारें हों सभी ने अपने मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण के कारण

कानून बनाने की धमकियां देनी शुरू कर दी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो यहां तक धमकी दे दी है कि जो व्यक्ति हमारी बहन-बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा उसका खात्मा कर दिया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 25 में अभिव्यक्ति की स्वंतत्रता का जो हक दिया गया है उसके तहत कोई भी बालिग व्यक्ति अपने पसंद की किसी भी लड़की से शादी कर सकता है।

बीजेपी और इस देश के साम्प्रदायिक तत्वों को यह भय है कि अगर हिन्दू लड़कियां मुसलमान लड़कों से विवाह करने के लिए धर्म परिवर्तन करती हैं तो इससे मुसलमानों की जनसंख्या में वृद्धि होगी। उत्तर प्रदेश और केन्द्र की भाजपा सरकार को चुनावों में भारी बहुमत देने का कदापि यह मतलब नहीं है कि वह संविधान की ही धज्जियां उड़ाने शुरू कर दे। प्यार का कोई धर्म नहीं होता लेकिन सरकार इसे धर्म से जोड़कर अपनी साम्प्रदायिक मनोवृत्ति को उजागर कर रही है। यह भारतीय संविधान के खिलाफ है। इसलिए ऐसे कानून वापस लिए जाने चाहिए। ■

विख्यात इस्लामिक विद्वान मौलाना कल्बे सादिक का निधन

इंकलाब (25 नवंबर) के अनुसार विश्व विख्यात इस्लामिक विद्वान मौलाना कल्बे सादिक का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कई दिनों से मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल थे। मौलाना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष थे। वे शिया-सुन्नी एकता के प्रमुख समर्थक थे और सादगी पसद इंसान थे। मजलिस पढ़ने के लिए उन्होंने संसार के अनेक देशों का दौरा किया। उनकी नमाज-ए-जनाजा ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामनेई के प्रतिनिधि मौलाना महदी महदावीपोर ने पढ़ाई। दूसरी नमाज-ए-जनाजा घंटा घर के सामने सुन्नी विद्वान और मस्जिद टीले वाली के मौलाना फजल अल मन्नान रहमानी ने अदा की। उन्हें इमामबाड़ा गुफरान मआब में दफनाया गया। उन्हें श्रद्धांजलि पेश करने वालों में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली आदि शामिल थे। इंकलाब के संपादक शकील शम्सी के मौलाना सादिक मामा थे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी मौलाना सादिक को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि 'मौलाना कल्बे सादिक के निधन से अत्यंत दु:ख हुआ। उन्होंने सामाजिक सद्भावना और भाईचारे के लिए उल्लेखनीय प्रयास किया। उनके परिजनों और चाहने वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं।' ■

यूरोप में इस्लामोफोबिया के रूझान पर चिंता

इत्तेमाद (12 नवंबर) के अनुसार पाकिस्तान और ईरान ने यूरोपीय देशों में इस्लाम के खिलाफ बढ़ती हुई भावना पर चिंता प्रकट की है और कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में इस्लाम का अपमान किसी भी हाल में में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से ईरान के विदेश मंत्री डॉ. जवाद जरीफ ने मुलाकात की थी। दोनों देशों ने कोरोना महामारी को रोकने के लिए संयुक्त नीति अपनाने, सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ाने और यात्रियों को अधिक-से-अधिक सुविधाएँ प्रदान करने पर विचार-विमर्श किया। कुरैशी ने ईरान में कोरोना के कारण होने वाली मौतों पर चिंता प्रकट की और कहा कि पाकिस्तान इस नाजुक घड़ी में ईरान को हर तरह का सहयोग देने के लिए तैयार है। दोनों देशों ने व्यापार और पूंजीनिवेश को बढ़ाने और सुरक्षा से जुड़े हुए मामलों पर भी विचार-विमर्श किया। कुरैशी ने आशा व्यक्त की कि अफगानिस्तान में शीघ्र शांति स्थापित हो जाएगी।

पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया है कि वह जम्मू-कश्मीर में नागरिकों का उत्पीड़न कर रहा है और मानवाधिकारों का हनन कर रहा है। कुरैशी ने इस बात के लिए ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई को कश्मीरियों का समर्थन करने पर बधाई दी। ईरान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की और सुरक्षा के विभिन्न पक्षों पर आपस में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। दोनों विदेश मंत्रियों ने यह तय किया कि यूरोप में इस्लाम के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसके निराकरण के लिए संयुक्त नीति अपनाई जाए।

कुख्यात आतंकवादी हाफिज सईद को दस वर्ष की सजा

इंकलाब (20 नवम्बर) के अनुसार मुंबई पर आतंकवादी हमले के आरोपी और आतंकवाद को धन उपलब्ध कराने के मामले में लाहौर जेल में बंद कुख्यात आतंकवादी हाफिज सईद को दस वर्ष की सजा सुनाई गई है। यह सजा पाकिस्तान के आतंकवाद विरोधी न्यायालय ने सुनाई। यह सजा न्यायालय ने सईद को दो मुकदमों के सिलसिले में सुनाई है, जिसमें यह कहा गया था कि उसने आतंकवादियों को आर्थिक सहायता प्रदान की है। सईद के साथ जफर इकबाल, याह्या मुजाहिद और अब्दुल रहमान को भी सजा सुनाई गई है। हाफिज सईद को जुलाई 2019 में गिरफ्तार किया गया था।

अब तक चार मुकदमें में हाफिज खिलाफ चार्जशीट दायर की जा चुकी है। आतंकवाद विरोधी विभाग की ओर से जमात-उद-दावा के नेताओं के खिलाफ कुल 41 मुकदमें दर्ज किए गए थे इनमें से 24 का फैसला हो चुका है। जबकि बाकी विचाराधीन हैं। सईद को आतंकवादियों की आर्थिक सहायता करने, धनराशि में हेर-फेर करने और भूमि पर अवैध कब्जा करने का आरोप है।

अगस्त में आतंकवाद विरोधी न्यायालय के निर्देश पर हाफिज सईद और उनके तीन सहयोगियों को जेल भेजा गया था। न्यायालय ने लाहौर के प्रोफेसर मोहम्मद जफर इकबाल और अब्दुल सलाम को 16-16 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इससे पूर्व हाफिज सईद के प्रमुख सहयोगी और जमात-उद-दावा के प्रवक्ता याह्या मुजाहिद को भी आतंकवादियों को धनराशि उपलब्ध कराने के मामले में 32 वर्ष की सजा सुनाई जा चुकी है।

ज्ञातव्य है कि मई 2008 में मुंबई में आतंकवादी हमले के सिलसिले में हाफिज सईद भारत में आरोपी है। इस हमले में दस आतंकवादियों ने 166 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इससे पूर्व फरवरी में एक अन्य मुकदमें में लाहौर की आतंकवाद विरोधी न्यायालय ने हाफिज सईद को 11 वर्ष कैद की सजा सुनाई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ और अमेरिका पहले ही हाफिज सईद को विश्व का कुख्यात आतंकवादी घोषित कर चुके हैं। इन आतंकवादियों के खिलाफ केस पाकिस्तान के आतंकवाद विरोधी विभाग की ओर से दायर किए गए थे। अभी सईद के खिलाफ चार अन्य मुकदमें विचाराधीन हैं।

न्यूजीलैंड पुलिस का मुस्लिम महिलाओं को तोहफा

मुंबई उर्दू न्यूज (9 दिसंबर) के अनुसार न्यूजीलैंड पुलिस के निर्धारित यूनिफॉर्म में बदलाव करते हुए पहली बार महिला पुलिस अधिकारियों को हिजाब पहनने की छूट दी गई है। महिला पुलिस अधिकारी ज़ीना अली हिजाब वाला यूनिफॉर्म पहनकर ड्यूटी पर हाजिर हुईं। ज्ञातव्य है कि

न्यूजीलैंड की पुलिस यूनिफॉर्म में हिजाब को शामिल करने की मांग दो वर्ष पूर्व की गई थी, जिसे अब मंजूर कर लिया गया है।

ज़ीना अली ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि न्यूजीलैंड में मस्जिदों पर हुए हमलों के बाद उन्होंने पुलिस में भर्ती होने का फैसला किया था। अब उन्हें इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि मुसलमानों की भावनाओं को देखते हुए सरकार ने यूनिफॉर्म में हिजाब को भी शामिल किया है। पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि यह फैसला मुस्लिम महिलाओं को पुलिस की सेवा के लिए प्रेरित करने के लक्ष्य से किया गया है और इसके साथ यह भी संकेत है कि न्यूजीलैंड के समाज में विभिन्न संस्कृति वाले लोग शामिल हैं और उन्हें उनके धर्म के अनुसार पूरी छूट प्राप्त है।

इससे पूर्व लंदन की मेट्रो पुलिस और स्कॉटलैंड यार्ड की महिला पुलिस कर्मचारियों को यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की छूट है। लंदन की मेट्रोपोलिटन पुलिस ने 2006 में यूनिफॉर्म के साथ हिजाब के इस्तेमाल की मंजूरी दी थी जबकि स्कॉटलैंड यार्ड ने 2016 में इसे अपनाया।

ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया पुलिस 2004 में ही हिजाब को यूनिफॉर्म में शामिल कर चुकी है। न्यूजीलैंड में ज़ीना अली हिजाब पहनने वाली पहली पुलिसकर्मी हैं। वे हालांकि फिज़ी में पैदा हुई थीं। मगर बाद में उनके परिवार वाले न्यूजीलैंड चले आए थे। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी वर्दी के तौर पर न्यूजीलैंड पुलिस की हिजाब वाली वर्दी को पहनकर बाहर जाना और उसे लोगों को दिखाना अच्छा लगता है। मैं चाहती हूं कि ज्यादा-से-ज्यादा मुस्लिम महिलाएँ पुलिस में भर्ती हों ताकि पुलिस के प्रति मुसलमानों में विश्वास बढ़े।

ऑस्ट्रिया में दो मस्जिदें बंद

रोजनामा सहारा (8 नवंबर) के अनुसार ऑस्ट्रिया सरकार ने देश में उभरते हुए इस्लामिक आतंकवाद को सख्ती से कुचलने का फैसला किया है। इस संबंध में हाल ही में देश की दो महत्त्वपूर्ण मस्जिदों 'मिल्लत इब्राहिम' और 'तौहीद मस्जिद' को सरकार ने सीलबंद कर दिया है। यह कदम गुप्तचर संगठनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने उठाया है। ये दोनों मस्जिदें ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित हैं।

एकीकरण मंत्री सुसैन राब ने इन मस्जिदों को बंद करने के कारणों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनके देश में 3 नवंबर को इस्लामिक उग्रवादियों ने कई लोगों को गोली से उड़ा दिया था जिसके बाद 20 साल के एक अरब मुसलमान आक्रमणकारी को पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में मार गिराया था। हमलावर के बारे में जांच करने से यह बात सामने आई है कि वह नियमित रूप से इन मस्जिदों में जाता था। यहां से आतंकवाद का

प्रचार होता है। इस हमले के बाद 16 इस्लामिक आतंकियों को हिरासत में लिया गया था जिनमें से पूछताछ के बाद छह आतंकवादियों को रिहा कर दिया गया और दस अभी तक हिरासत में हैं।

ऑस्ट्रिया के मुसलमानों ने मस्जिदों को बंद करने के खिलाफ राजधानी वियना में प्रदर्शन किया और यह मांग की कि सरकार की यह कार्रवाई धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है और सरकार जानबूझकर मुसलमानों को निशाना बना रही है। इस्लाम समुदाय का दावा है कि इन मस्जिदों में सिर्फ धार्मिक शिक्षा दी जाती है और उनका आतंकवाद से कोई संबंध नहीं है। वियना

के गवर्नर ने यह दावा किया है कि 3 नवम्बर को पुलिस के हाथों जो इस्लामिक आतंकवादी मारा गया था वह मकदूनिया से आया था और उसने सीरिया में जाकर इस्लामिक खिलाफत में युद्ध का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया था।

अफगानिस्तान और इराक से अमेरिकी फौजियों की वापसी की घोषणा

इंकलाब (19 नवंबर) के अनुसार अमेरिका ने जनवरी के मध्य तक अफगानिस्तान से अपने 2000 सैनिकों और इराक से 500 सैनिकों को वापस स्वदेश बुलाने का फैसला किया है। पेंटागन के एक प्रवक्ता ने बताया कि इन अमेरिकी फौजियों की वापसी के प्रबंध किए जा चुके हैं। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अफगानिस्तान से 2000 और इराक से 500 फौजियों को वापस बुलाने का जो फैसला किया था अब उसे लागू किया जा रहा है। इन फौजियों की वापसी के बाद दोनों देशों में सिर्फ 2500-2500 सैनिक ही रह जाएंगे।

गत वर्ष तालिबान के साथ अमेरिका ने जो शांति समझौता किया था उसके तहत फौजियों को वापस बुलाया जा रहा है। जबकि इराक में जनरल कासिम सुलेमानी की अमेरिकी हमले में मारे जाने के बाद अमेरिका ने वहां पर अपने सैनिकों की संख्या को कम करने का फैसला किया था। नाटो के महासचिव ने चेतावनी दी है कि अमेरिका जिस तरह से अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुला रहा है उसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है और वहां पर पुनः युद्ध भड़क सकता है। इसलिए अमेरिका को जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए।

ईरान के प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक की हत्या

इंकलाब (28 नवंबर) के अनुसार ईरान के प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फख़रीज़ादेह को तेहरान में मार दिया गया है। पहले उन्हें धमाके से उड़ाने का प्रयास किया गया। इसके बाद फायरिंग करके उनकी हत्या कर दी गई। ईरान की न्यूज एजेंसी के अनुसार इस हमले में एक गाड़ी को निशाना बनाया गया और तीन से चार लोग मारे गए।

ज्ञातव्य है कि इजरायल सरकार ने 2018 में यह घोषणा की थी कि मोसाद के जासूसों ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को मारने की कोशिश की थी मगर वे इसमें सफल नहीं हो सके। इससे पूर्व भी सूचना आई थी कि मोसाद के जासूसों ने एक परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फख़रीज़ादेह की हत्या करने का प्रयास भी किया था जो कि ईरान के एटमी रेक्टर के प्रमुख हैं। ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने एक ट्विट में कहा है कि आतंकवादियों ने एक बड़े ईरानी वैज्ञानिक की हत्या कर दी है। पासदारान-ए-इंकलाब के कमांडर ने कहा है कि वे ईरानी वैज्ञानिकों की हत्या का बदला लेंगे। जैसा कि पहले बदला लेते रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस हत्या के पीछे मोसाद का हाथ है।

हमारा समाज (30 नवंबर) के अनुसार अधिकांश ईरानियों ने भी जुमे तक परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फख़रीज़ादेह का नाम भी नहीं सुना था। जब उन्हें मोसाद ने हमले में मार दिया तो उन्हें पहली बार इस नाम की जानकारी मिली। मगर जो लोग ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नजदीक से जानते हैं वे उनके नाम से बखूबी वाकिफ थे। बताया जाता है कि वे कोविड टेस्टिंग किट बनाने का भी अनुसंधान कर रहे थे। लंदन के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्ट्डीज ने कहा है कि इस हमले से ईरान के परमाणु विकास कार्यक्रम पर प्रभाव पड़ेगा। जब इस वैज्ञानिक पर हमला किया गया तो उन्हें जबर्दस्त सुरक्षा कवच प्राप्त था। मगर मोसाद ने उन्हें सैटेलाइट द्वारा मारा है। धमाके के बम और जिस राइफल से उन्हें गोली मारी गई उसे सैटेलाइट द्वारा 1000 किलोमीटर दूर से नियंत्रित किया जा रहा था। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि यमन में ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों ने जेद्दा में स्थित सऊदी तेल कम्पनी अरामको के एक प्लांट पर हमला करके उसे तबाह कर दिया था। इसलिए मोहसिन को जवाबी कार्रवाई के तौर पर निशाना बनाया गया है।

ज्ञातव्य है कि जनवरी में इराक में राष्ट्रपति ट्रम्प ने ईरान के बड़े फौजी कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को एक ड्रोन हमले में मार दिया था। जो लोग ईरान के परमाणु प्रोग्राम को जानते हैं वे इस बात को भलीभांति जानते हैं कि इस प्रोग्राम में फख़रीज़ादेह का सबसे ज्यादा हाथ था। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने फख़रीज़ादेह की हत्या के गुनाहगारों को हर कीमत पर खत्म करने का निर्देश दिया है। ईरान की सुरक्षा काउंसिल के प्रमुख मोहसिन रेजाई ने इस बात की आलोचना की है कि ईरान की सुरक्षा और गुप्तचर एजेंसियां फख़रीज़ादेह की हत्या की पूर्व जानकारी देने में विफल रही हैं। इन विफलताओं को नजरअंदाज करना ईरान के लिए घातक होगा।

उन्होंने कहा है कि ईरान को हत्यारों और विदेशी जासूसों का पता लगाना चाहिए ताकि इसका कोई हत्यारा जिंदा न रहे। जानकार सूत्रों के अनुसार ईरान इस हत्या की साजिश का पता लगाने के लिए पूरी तरह से जुट गया है और इस संबंध में ईरान में 100 से अधिक लोग हिरासत में लिए गए हैं। ईरान के वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि हत्यारों ने एक हजार कि.मी. दूर से इस ईरानी वैज्ञानिक को कैसे अपना निशाना बनाया?

तुर्की और सऊदी अरब के तनाव से व्यापारियों को परेशानी

इत्तेमाद (20 नवम्बर) के अनुसार सऊदी अरब ने तुर्की के उत्पाद का बहिष्कार शुरू कर दिया है इससे व्यापारियों को भारी परेशानी हो रही है। पिछले कुछ वर्षों में तुर्की के आक्रामक रवैये और लीबिया और सीरिया में तुर्की के रवैये के कारण दोनों देशों के बीच तनाव में वृद्धि हुई है। इसके कारण व्यापार पर अनेक तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, जिसके कारण सऊदी अरब के असर वाले राष्ट्रों में तुर्की की बनी हुई वस्तुओं का बहिष्कार तेजी से बढ़ रहा है। पहले यह केवल सऊदी अरब तक ही सीमित था। मगर अब इसने उत्तरी अफ्रीका और मध्य-पूर्व के कई राज्यों में भी अपने पैर पसार लिए हैं।

तुर्की और खाड़ी देशों के बीच मिस्र में 2013 में सेना की ओर से सरकार का तख्ता पलटने, 2017 में कतर की नाकाबंदी और सऊदी पत्रकार जमाल खशोग्गी की इस्तांबुल में सऊदी दूतावास में हत्या और इजरायल को मान्यता देने के कारण दोनों देशों में तनाव चरम सीमा पर है। 3 अक्टूबर को सऊदी चैम्बर्स ने तुर्की की बनी हुई वस्तुओं के बहिष्कार की घोषणा की थी। इसका और भी प्रभाव बढ़ा है।

हाल ही में सऊदी अरब की फास्ट फूड चैनल हर्फी ने यह घोषणा की है कि वह तुर्की बर्गरों की बजाय अपने स्टोरों पर यूनानी बर्गर बेचेंगे। तुर्क कम्पनियों ने यह शिकायत की है कि सरकार सऊदी अरब में उन्हें चीजें लाने और वहां पर भवन निर्माण के ठेके नहीं दे रही है। दुनिया की सबसे बड़ी कंटेनर शिपिंग कम्पनी मर्स्क ने अपने उपभोक्ताओं को बताया है कि तुर्की से सऊदी अरब में सामान लाने में परेशानी हो रही है। जानकार सूत्रों के अनुसार सऊदी अरब का कस्टम विभाग तुर्की की बनी हुई वस्तुओं को देश में आने से रोक रहा है। इसके कारण कस्टम में इस समय सात करोड़ डॉलर का माल रूका हुआ है।

सऊदी युवराज और इजरायली प्रधानमंत्री के बीच गुप्त वार्ता

मुंबई उर्दू न्यूज (24 नवंबर) के अनुसार सऊदी अरब की राजधानी रियाद में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के बीच एक गुप्त मुलकात हुई थी। बताया जाता है कि इस मुलाकात के पीछे अमेरिकी सरकार का हाथ है। टाइम्स ऑफ इजरायल के अनुसार यह पहला अवसर है जब कोई इजरायल का प्रधानमंत्री सऊदी अरब गया हो।

समाचारपत्र ने कहा है कि तीनों देश इस मुलाकात को इतना गुप्त रखना चाहते थे कि नेतन्याहू ने वहां जाने के लिए एक प्राइवेट विमान का इस्तेमाल किया। हैरानी की बात यह है कि इजरायल के रक्षा मंत्री को भी इस मुलाकात की कोई जानकारी नहीं थी।

पिछले वर्ष भी इसी तरह से एक प्राइवेट जेट द्वारा नेतन्याहू जॉर्डन भी गए थे। इजरायली सूत्रों के अनुसार इजरायल के गुप्तचर विभाग के प्रमुख भी इजरायली प्रधानमंत्री के साथ सऊदी अरब गए थे। इस मुलाकात के समाचार हालांकि इजरायल के सभी समाचारपत्रों ने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किए है। मगर सरकारी तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। सऊदी अरब और इजरायल दोनों सरकारों ने इसकी पुष्टि या खंडन करने से इनकार कर दिया है। समझा जाता है कि शीघ्र ही सऊदी अरब द्वारा इजरायल को मान्यता दिए जाने की संभावना है।

इससे पूर्व सऊदी अरब के दो सहयोगी देश संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन इजरायल को मान्यता दे चुके हैं। इस बात की संभावना है कि कई अरब देश भी इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर सकते हैं। हालांकि सरकारी तौर पर अभी तक सऊदी अरब की ओर से यही दावा किया जा रहा है कि जब तक फिलीस्तीन की समस्या का समाधान नहीं हो जाता। इजरायल को सऊदी अरब मान्यता नहीं देगा।

समाचारों के अनुसार अमेरिका अरब जगत को विभाजित करने का जो प्रयास कर रहा है उसकी पृष्ठभूमि में इजरायल के प्रधानमंत्री के सऊदी अरब दौरे का विशेष महत्त्व है। तुर्की ने जब से रूस से रक्षा व्यवस्था खरीदी है अमेरिका के साथ उसके संबंध काफी कड़वे हो गए हैं। इसलिए अमेरिका पृष्ठभूमि में रहकर अरब और मुस्लिम देशों को तुर्की के खिलाफ सऊदी अरब के झंडे तले इक्ट्ठा करने का प्रयास कर रहा है। यह मुलाकात इसी सिलसिले में हुई बताई जाती है।

संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान में तनाव

रोजनामा सहारा (19 नवंबर) के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान में दिन-प्रतिदिन तनाव बढ़ रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसके अनुसार 2017 में कंधार पर हुए आतंकवादी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। इस हमले में संयुक्त अरब अमीरात के पांच राजनयिक मारे गए थे। संयुक्त अरब अमीरात गुप्तचर एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार इस हमले को पाकिस्तान स्थित हक्कानी नेटवर्क ने प्रायोजित किया था।

सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के संबंध पहले से ही तनावपूर्ण चल रहे हैं। हालांकि गत दिनों पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए सऊदी अरब का दौरा किया था मगर इसका कोई लाभ नहीं हुआ। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संयुक्त अरब अमीरात द्वारा इजरायल के साथ बढ़ती हुई दोस्ती की तीव्र आलोचना की थी और उसे अरब और इस्लामिक हितों के खिलाफ बताया था। इस नाराजगी का संकेत इस बात से भी मिलता है कि संयुक्त अरब अमीरात अब पाकिस्तानियों को वीजा देने में भी टाल-मटोल कर रहा है।

पाकिस्तानी इस बात से काफी परेशान हैं कि संयुक्त अरब अमीरात ने वहां पर काम करने वाले पाकिस्तानियों को अगर वहां से सऊदी अरब की तरह निष्कासित कर दिया तो इससे पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को करारा झटका लगेगा। इस समय सात लाख से अधिक पाकिस्तानी संयुक्त अरब अमीरात में काम कर रहे हैं। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने देश में अवैद्य रूप से रहने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ जो अभियान चलाया था उसके कारण 5 हजार से अधिक लोग पकड़े गए थे जो कि विभिन्न जेलों में बंद हैं। इस घटना के बाद संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने पाकिस्तानियों को वीजा देने में सख्ती बरतना शुरू कर दिया है।

सऊदी अरब और इराक ने सीमाएं खोलीं

रोजनामा सहारा (20 नवंबर) के अनुसार इराक और सऊदी अरब ने तीस वर्ष के बाद अपनी सीमाओं को पुनः खोलने का फैसला किया है। इसका लक्ष्य दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहन देना है। दोनों देशों ने अरार बॉर्डर क्रॉसिंग को खोलने की घोषणा की है। इससे पूर्व एक उच्चस्तरीय सऊदी अरब का प्रतिनिधिमंडल बगदाद आया था और उसने इराकी मंत्री से इस संदर्भ में मुलाकात की थी।

ज्ञातव्य है कि 1990 में दोनों देशों के बीच यह जमीनी रास्ता बंद किया गया था। इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया था जिसके कारण सऊदी अरब ने बगदाद के साथ अपने सभी संबंध तोड़ लिए थे। हाल में इराक में जो नई सरकार आई है उसने दोनों देशों के संबंधों को सुधारने का फैसला किया है। बताया जाता है कि इराक के वर्तमान प्रधानमंत्री ने इस संदर्भ में सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान से व्यक्तिगत तौर पर अनुरोध किया था। इराक के प्रधानमंत्री के शीघ्र ही सऊदी अरब जाने की सम्भावना है। सऊदी अरब ईरान से अपने व्यापारिक संबंधों को तोड़कर इराक से व्यापारिक संबंध स्थापित करना चाहता है। इसलिए यह सीमा खोली गई है। इराक के इस फैसले के खिलाफ बगदाद में उग्र प्रदर्शन भी हुए हैं।

स्वामी श्रद्धानन्द के हत्यारे को दी गई श्रद्धांजलि

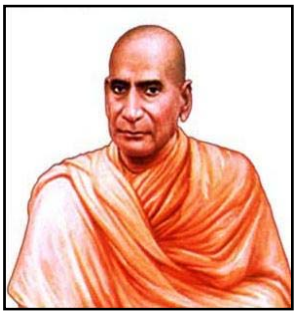

विख्यात आर्य समाजी नेता और महान स्वतंत्रता सेनानी स्वामी श्रद्धानन्द की दिल्ली में एक धर्मांध मुसलमान गाजी अब्दुल रशीद ने 23 दिसंबर, 1926 को चाकू से हत्या कर दी थी। बाद में उसे फांसी पर लटका दिया गया। हैरानी की बात यह है कि इस हत्यारे को प्रत्येक वर्ष कुछ लोग बकायदा श्रद्धांजलि सभा आयोजित करके न सिर्फ इस हत्यारे को महिमामंडित करते हैं बल्कि उसे इस्लाम का सिर बुलंद करने वाला भी बताते हैं।

इंकलाब (17 नवंबर) के अनुसार बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित मस्जिद भूली-भटियारी में गाजी अब्दुल रशीद का शहीदी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य इमाम डॉ. उमेर इल्यासी ने उसे श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि गाजी अब्दुल रशीद आशिक-ए-रसूल थे और इसलिए उन्होंने इस्लाम की बुलंदी के लिए अपना जीवन का बलिदान दे दिया। अंजुमन महोबान वतन के महामंत्री जमील अंजुमन दहलवी ने बताया कि गाजी अब्दुल रशीद ने इस्लाम के लिए बलिदान दिया है। इस शहीदी दिवस के समारोह की अध्यक्षता मुफ्ती निसार अहमद कासमी ने की। इस सभा में मुफ्ती कफील उर्र रहमान कासमी, मौलाना रईस अहमद कासमी, मुफ्ती मोहम्मद याह्या कासमी, मौलाना अबु बकर मुजाहिरी, हाजी मोहम्मद इदरिश, कारी बिलाल, हाफिज मोहम्मद इरफान, शकील अहमद, मोहम्मद कामरान आदि अनेक प्रमुख मुस्लिम विद्वानों ने भाग लिया।

अमानतुल्लाह खान बने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन

इंकलाब (20 नवंबर) के अनुसार दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के रूप में तीसरी बार आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान निर्विरोध चुने गए हैं। बोर्ड की बैठक में परवेज हासमी ने भाग नहीं लिया। चौधरी शरीफ अहमद ने अमानतुल्लाह खान का नाम अध्यक्ष के रूप में पेश किया था, जिसका समर्थन रजिया सुल्ताना ने किया। ज्ञातव्य है कि अमानतुल्लाह को चेयरमैन बनाए जाने के खिलाफ न्यायालय में जो याचिका दायर की गई थी उसे न्यायालय ने रद्द कर दिया

था। चेयरमैन का कार्यभार सम्भालने के बाद अमानतुल्लाह खान ने कहा कि हम सबसे पहले कर्मचारियों का बकाया वेतन जारी करेंगे और

इसके बाद विधवाओं की पेशन भी एक सप्ताह में जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बोर्ड के खिलाफ तीन याचिका न्यायालय में दायर की गई थी और तीनों बार याचिकाएं खारिज हुईं और इसमें दिल्ली सरकार ने हमारा जमकर साथ दिया। इसके कारण सात महीने से जो गतिरोध चल रहा था वह समाप्त हो गया है।

पॉपुलर फ्रंट के दफ्तरों पर छापे

रोजनामा सहारा (19 नवंबर) के अनुसार कर्नाटक पुलिस ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी के सहयोग से कर्नाटक में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के राजनीतिक प्रकोष्ठ एसडीपीआई के दफ्तरों सहित 43 स्थानों पर छापे मारे। एजेंसी के प्रवक्ता ने कहा कि बंगलौर में अगस्त महीने में जो हिंसा हुई थी उसमें पॉपुलर फ्रंट और एसडीपीआई का हाथ पाया गया था। इन दंगों में कई पुलिस कर्मचारी घायल हुए थे और कई थानों को आग लगा दी गई थी। इन दंगों का लक्ष्य भय फैलाना था और

अब तक इस संबंध में 300 से अधिक व्यक्ति गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तलाशी के दौरान इन दफ्तरों से तलवार, चाकू और लोहे की सलाखें आदि बरामद हुए हैं।

अविवाहित जोड़ों को एक साथ रहने की अनुमति

इंकलाब (9 नवंबर) के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात ने यह घोषणा की है कि बिना शादी किए भी महिला और पुरुष एक साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। इसके अतिरिक्त शराब के इस्तेमाल में भी कुछ राहत दी गई है। अलजजीरा की रिपोर्ट के अनुसार नए कानून के अनुसार ऑनर किलिंग के नाम पर अगर किसी आदमी या महिला की हत्या की जाती है तो उसे हत्या माना जाएगा और उसके खिलाफ न्यायालय में मुकदमा चलाया जाएगा।

21 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को अब शराब पीने और बेचने की अनुमति दी गई है। इससे पूर्व उन्हें ऐसा करने पर सख्त सजा दी जाती थी। पहले नागरिकों को घरों में शराब खरीदने और पीने के लिए सरकार से लाइसेंस प्राप्त करना होता था मगर अब मुसलमानों पर शराब पीने या उसे खरीदने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। होटलों को भी इस बात का निर्देश दिया गया है कि वे गैर शादीशुदा जोड़ों को भी रात गुजराने के लिए होटलों में कमरा दे सकते हैं।

अलकायदा के प्रमुख अयमान अल–जवाहिरी की मौत का दावा

रोजनामा सहारा (21 नवंबर) के अनुसार अलकायदा के प्रमुख अयमान-अल जवाहिरी की मौत के समाचार कई दिनों से गर्म हैं। अब अफगान सूत्रों ने अरब न्यूज से इस

खबर की पुष्टि की है। प्रवक्ता ने बताया है कि वह अफगानिस्तान में मरा है। 69 वर्षीय अल-जवाहिरी को आखिरी बार अमेरिका पर होने वाले 9/11 हमले के सिलसिले में एक वीडियो में देखा गया था। इसके बाद वह किसी गुप्त स्थान पर रह रहा था क्योंकि अमेरिकी प्रशासन 9/11 का बदला लेने के लिए उसकी हत्या करवाना चाहता था।

अरब न्यूज के अनुसार कम-से-कम चार पाकिस्तानी और अफगान सुरक्षा अधिकारियों ने अल-जवाहिरी की मौत की पुष्टि की है। समाचारपत्रों का कहना है कि उसकी मौत के बाद अलकायदा में नेतृत्व का युद्ध छिड़ सकता है। अमेरिकी फोर्स इससे पूर्व उसके दो उत्तराधिकारियों को मौत के घाट उतार चुकी है। इनमें एक अलकायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन का बेटा हमजा बिन लादेन था जबकि दूसरा अबु मोहम्मद अल-मसरी था, जिसे अलकायदा में दूसरा दर्जा प्राप्त था। उसकी हत्या पिछले वर्ष ईरान में कर दी गई थी।

अलकायदा के निकटवर्ती सूत्रों के अनुसार अल-जवाहिरी पिछले हफ्ते गजनी में एक गुमनाम जगह पर मरा है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि वह बीमारी के कारण मरा है या उसकी हत्या कर दी गई है। जबकि अफगानिस्तान में अलकायदा के निकटवर्ती सूत्रों ने इस बात का खंडन किया है कि उसका प्रमुख प्राकृतिक मौत नहीं मरा है। बल्कि उसकी हत्या कर दी गई है। गुप्तचर सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि उसे दफन किया जा चुका है। पाकिस्तान के आतंकवाद विरोधी विभाग के एक उच्चाधिकारी ने कहा है कि उसकी जानकारी के अनुसार एक महीने पूर्व इसकी हत्या की गई थी और यह अफगानिस्तान के अंदर ही हुई है। अमेरिकी गुप्तचर विभाग इन सूचनाओं की पुष्टि कर रहा है।

अफगानिस्तान के सुरक्षा विभाग के प्रमुख ने अरब न्यूज को बताया कि उन्हें अलकायदा के प्रमुख की मौत के बारे में कोई सूचना नहीं है और वे इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। संयुक्त राष्ट्र संघ के आतंकवाद विरोधी विभाग के अनुसार दुनिया भर में अलकायदा सक्रिय है और अल-जवाहिरी का उत्तराधिकारी सैफ अल-आदिल हो सकता है जो कि अलकायदा के मजलिस-शुरा का प्रमुख है। सैफ-अल आदिल एफबीआई की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल है और अमेरिकी विदेश मंत्रालय उससे संबंधित जानकारी देने वाले को दस मिलियन डॉलर इनाम की घोषणा कर चुका है।